



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2097]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939

No. 2097]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

**का.आ. 2383(अ).**—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है:

और, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) केंद्रीय सेक्टर स्कीम का प्रशासन कर रहा है जिनमें अध्येतावृत्तियों का संदाय, अनुसंधान सहायकों, ज्येष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (एसआरएफ), कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (जेआरएफ), परियोजना वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों को वृत्तिका या वित्तीय सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है;

और, मंत्रालय की स्कीमों के कुछ अवयवों अर्थात्: वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान – मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं (एकरॉस); महासागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, प्रेक्षण, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (ओ-स्टॉर्म्स); भूकंप विज्ञान तथा भू-विज्ञान (सेज); ध्रुवीय विज्ञान तथा हिमांकमंडल (पेसर); अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण आउटरीच (रीच आउट) तथा स्वायत्तशासी निकायों को सहायता (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन विभिन्न सरकारी अकादमिक तथा वैज्ञानिक संस्थानों अथवा गैर-सरकारी अकादमिक तथा वैज्ञानिक संस्थानों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है;

और, इन स्कीमों के कुछ अवयवों के अधीन, वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को अध्येतावृत्ति या वृत्तिका अथवा वित्तीय सहायता का संदाय नकद या वस्तु (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में प्रत्यक्ष रूप में अथवा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से फायदाग्राहियों को किया जाता है जिसमें भारत की संविदा निधि से उपगत व्यय अन्तर्विष्ट है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु पात्र किसी व्यक्ति से आधार संख्याक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या उसे आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा होगी।
- (2) उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने में इच्छुक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास आधार संख्याक नहीं है या जिसने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया है, तारीख 30 सितंबर, 2017 तक आधार नामांकन करने की अपेक्षा होगी परंतु अब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु पात्र हो तथा ऐसा व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से या अपने ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो आधार देने हेतु किसी व्यक्ति से अपेक्षा करता है ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा होगी जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं होने की दशा में, मंत्रालय से सीधे तौर पर अथवा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या मंत्रालय द्वारा, स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा होगी:

परंतु किसी व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी अर्थात्:-

- (क) (i) यदि उसमें अपना नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
- (ii) नीचे दिए गए पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन हेतु किए गए उनके अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) (i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक; या
- (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) राशन कार्ड; या
- (v) मतदाता पहचान कार्ड; या
- (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कार्ड या
- (vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

- (viii) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लैटर हैंड पर फोटो के साथ उस व्यक्ति के लिए जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र; या
- (ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किया गया हो।

2. स्कीमों के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधाहित प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, मंत्रालय सीधे या अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, नामतः-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बनाने हेतु मीडिया के माध्यम से और फायदाग्राहियों को व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 30 सितंबर, 2017 तक स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध है) उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार हेतु नामांकन कराने में समर्थ नहीं है तो मंत्रालय से सीधे या अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से मंत्रालय के संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन अभिकरणों से या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य अपेक्षित ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एमओईएस/16/23/डीबीटी/2016-एक्ट]

आनंद सिंह खाती, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF EARTH SCIENCES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

**S.O. 2383(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, Ministry of Earth Sciences (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India, is administering the Central Sector Schemes which involve payment of fellowships, stipends or financial assistance to Research Associates, Senior Research Fellows (SRF), Junior Research Fellows (JRF), Project Scientists and Students;

And whereas, some components of the Schemes of this Ministry, namely Atmosphere & Climate Research – Modelling Observation Systems & Services (ACROSS); Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science (O-STORMS); Seismological and Geoscience (SAGE); Polar Science and Cryosphere (PACER); Research, Education and Training Outreach (REACHOUT) and assistance to autonomous bodies (hereinafter referred to

as Schemes) are being implemented through various Government, Academic and Scientific Institutions or Non-Government Academic or Scientific Institutions (hereinafter referred to as Implementing Agencies) or directly by the Ministry;

And whereas, under some components of Schemes, payment of fellowship or stipend or financial assistance is given to the Scientists and students (hereinafter referred to as beneficiaries) in the form of cash or kind (hereinafter referred to as benefits) directly or through the Implementing Agencies to the beneficiaries, which involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any Individual eligible for receiving the benefits under the said Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the said Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30<sup>th</sup> September, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment center (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website ([www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry directly or through its Implementing Agencies, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry directly or through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the schemes shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:-

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
- (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Ration Card; or
- (v) Voter Identity Card; or
- (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card; or
- (vii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
- (ix) Any other documents specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry directly or through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas by 30<sup>th</sup> September, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centers (list available at [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the nearby vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Ministry directly or through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details with the concerned officials of the Ministry or the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. MoES/16/23/DBT/2016-Acct.]

ANAND S. KHATI, Jt Secy.